यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय, नागनाथ, पोखरी, (चमोली) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय, नागनाथ, पोखरी, (चमोली) के माह 04/2012 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पवन कुमार, एवं सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री राजकुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.10.2017 से 30.10.2017 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः-

1.-(1) निदेशालय से माह वद्यालय की दूरीः 262 क0मी0

(2) मार्ग के अन्तर्गत पड़ने वाले मुख्य स्टेशन/स्थान हल्द्वानी-रानीखेत-द्वाराहाट-गैरसैंण-कर्णप्रयाग-पोखरी।

(2) महा वद्यालय से सड़क की दूरीः-

1. महा वद्यालय एन0एच0 58 पर स्थित है
2. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्यमार्ग से महा वद्यालय की दूरी 32 क0मी0
3. महा वद्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम-ऋ षकश दूरी- 220 क0मी0
4. वकास खण्ड का नाम-पोखरी- वकास खण्ड से दूरी-03 क0मी0
5. तहसील का नाम-पोखरी- तहसील से दूरी-02.5 क0मी0
6. जिला का नाम- चमोली-मुख्यालय से दूरी-72 क0मी0
7. वधानसभा क्षेत्र की संख्या एवं नाम-04 बद्रीनाथ
8. समुद्र तल से ऊचाई (1) मीटर में-1850 मीटर

(1 मीटर= 3.281 फीट) (2) फीट में-6070 फीट

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		अ धक्य (+)	बचत (-)	गैर स्थापना		अ धक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	32.05	31.08	--	0.97	3.32	2.78	--	0.54
2015-16	--	--	32.70	29.42	--	3.28	9.07	7.54	--	1.53
2016-17	--	--	49.95	48.04	--	1.91	28.48	24.17	--	4.31
2017-18 (09/2017)	--	--	44.50	33.15	--	11.35	16.85	7.39	--	9.46

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः

लागू नही

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	आंटित धारा श	व्यय धनरा श	व्यय आ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	रूसा	शून्य	शून्य		शून्य	
2015-16	रूसा	0.00	24.68	24.68	0.00	0.00
2016-17	रूसा	0.00	87.28	87.27	0.81	0.80
2017-18	रूसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अन्तर्गत, निदेशक उच्च शक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव, उच्च शक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून 2. उच्च शक्षा निदेशालय, हल्द्वानी 3. उच्च शक्षा निदेशक, हल्द्वानी 4. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय, नागनाथ, पोखरी, (चमोली)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा 04/2012 से 09/2017 तक की अव ध को आच्छादित करते हुए प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय, नागनाथ, पोखरी, (चमोली) के लेखा-अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय, नागनाथ, पोखरी, (चमोली) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09.2016, 07.2017 एवं 06/2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर 01 :- **₹ 59.00** लाख का निर्माण कार्य रूसा के शर्तों के अनुरूप निष्पादित नहीं कराया जाना।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय पोखरी (चमोली) की लेखापरीक्षा में पाया गया क शा. सं0 364/XXIV(7)/2016-61(2)/15 दिनांक 11/08/2016 के क्रम में निर्माण व पुननिर्माण हेतु स्वीकृत लागत ₹ 62.29 लाख के अन्तर्गत महा वद्यालय परिसर में ₹ 59.00 लाख लागत से Toilet Computer Centre तथा Playground के निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी उत्तराखण्ड अवस्थापना वकास निगम से MOU के तहत 08/2017 तक कार्य पूर्ण कर महा वद्यालय को हस्तगत कया जाना था। इस संबंध में दिनांक 21/05/2017 के महा वद्यालय के निरीक्षण रिपोर्ट में पाया गया क टॉयलेट तथा कम्प्यूटर सेन्टर के कार्य क्रमशः डोर तथा फ्लोरिंग लेवल तक तथा प्लेग्राउण्ड के कार्य 50%-75% पाये गये, जब क निर्माण एजेंसी द्वारा जून, 2017 तक समस्त धनरा श उपयोग कर ली गयी थी। इस संबंध में दिनांक 22/04/16 के कार्यवृत में शासन द्वारा निर्माण एजेंसी को निर्दे शत कया गया था क एम0ओ0यू0 के अनुसार निर्धारित समयवृद् ध में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें, परंतु लेखापरीक्षा ति थ तक निर्माण कार्य अहस्तान्तिरत पाया गया।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया क शासनादेश का अनुपालन करना महा वद्यालय की बाध्यता थी, जिस कारण समस्त धनरा श निर्माण एजेंसी को अवमुक्त की गयी। कार्य की भौतिक प्रगति 100% हो चुकी है, हस्तगत की प्र क्रया वचाराधीन है। इस संबंध में निर्माण एजेंसी को काम में तेजी लाने के लये महा वद्यालय द्वारा शीघ्र ही पत्र प्रे षत की जायेगी।

उत्तर मान्य नहीं है, रूसा दिशानिर्देशन के अनुसार महा वद्यालय के प्राचार्य को निर्माण एजेंसी को धन अवमुक्त करने का प्रा धकार प्रदान कया गया है, तथा लेखापरीक्षा के दौरान निर्माण संबंधी चाही गयी आवश्यक अ भलेख एजेंसी से सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी महा वद्यालय की थी, परंतु महा वद्यालय कार्य की अद्यतन स्थित प्रस्तुत करने में असफल रही तथा समस्त धनरा श भुगतान करने के बावजूद भी कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ पाया गया तथा शासकीय आदेशों का अनुपालन नहीं कया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **02** :- वभागीय उदासनता के कारण अर्जित ब्याज की धनराश **₹ 76,513/-** का समायोजन/वापस नही कए जाना।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शक्षा अभयान (रूसा) प्रारम्भ कया गया, जिसके निर्देशानुसार "All receipts and expenditure under RUSA shall be debited and credited to RUSA. Interest accrued, if any on such an account shall be credited to RUSA." तथा "fund flow from state to institutions" के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार "The releases made to institutions should be as per the approval institutional development plans and after adjusting unspent balances from the previous year" तथा उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 126/(1)/XXVII(6)-T.C.A.934-2014 दिनांक 21/04/2017 (वत्त अनुभाग-6) के अनुसार- "प्रशासनिक वभागो द्वारा परियोजनायों हेतु धनराश बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित कया जाता है और उक्त ब्याज की धनराश को राजकोष में जमा न करते हुये प्रयोग में लया जा रहा है। यह एक घोर अनियमतता है तथा उक्त शासनादेश के अनुसार इस प्रकार जितने भी बैंक खाते हैं, उन खातों में अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुये तत्काल उक्त धनराश राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराई जाय। उक्त धनराश को जमा कराने की वभागाध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी"।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महावद्यालय, नगनाथ, पोखरी, (चमोली) के लेखो की नमूना जांच में पाया गया क लेखा परीक्षा अवध के दौरान कार्यालय को केन्द्र द्वारा संचालत रूसा परियोजना के अंतर्गत वत्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में निर्माण कार्य हेतु क्रमशः ₹ 24.68 एवं ₹ 34.32 लाख अर्थात कुल ₹ 59.00 लाख की धनराश आवंटिक हुई थी। निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था "यू पी स्टेट कंस्ट्रशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कार्पोरिशन ल," देहरादून द्वारा कया गया। कार्यालय तथा कार्यदायी संस्था के बीच हुये समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्माण एजेंसी भौतिक और वत्तीय रिपोर्ट के साथ उसके पास उपलब्ध निधयो तथा प्रतिमाह अर्जित ब्याज की ववरण इकाई को उपलब्ध कराएगी तथा कार्य क प्रगति तथा उसके पास निध क उपलब्धता के आधार पर कम से कम आगामी चार माह के लए अपेक्षत मासक निध क मांग भी प्रस्तुत करेगी तथा निर्माण एजेंसी परियोजना को सौपने से पहले ग्राहक वभाग को अर्जित ब्याज सहित कुल शेष धनराश लौटाएगी।

लेखापरीक्षा जांच के उपरांत पाया गया क निर्माण एजेंसी को अवमुक्त क गयी धनराश ₹ 59.00 लाख का सम्पूर्ण व्यय कया जा चुका है। कार्य की समस्त धनराश कार्यदायी संस्था द्वारा प्रयुक्त (Utillized) कर ली गयी थी, अतः समझौता ज्ञापन क शर्तों के अनुसार प्रतिमाह अर्जित ब्याज का ववरण ग्राहक वभाग को उपलब्ध कराया जाना था तथा निर्माण एजेंसी द्वारा ग्राहक वभाग को अर्जित ब्याज सहित कुल शेष धनराश लौटायी जानी थी परंतु लेखा परीक्षा में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही पाया गया।

आगे जांच में पाया गया क महा वद्यालय के सुधरिकरण हेतु रूसा के अंतर्गत ₹ 25 लाख भारत सरकार द्वारा जारी कया गया था जिसका "भारतीय स्टेट बैंक", खाता संख्या 34533513979 द्वारा धनरा श का रखरखाव कया गया, जिसका अवलोकन के उपरान्त पाया गया क संचा लत खाता में अवमुक्त धनरा श पर अर्जित ब्याज भारत सरकार को वापस करने एवं उक्त प्रयोजन के लए धनरा श को समयोजन के पश्चात आवंटन करने के लए शासन को इस आश्य से अवगत कराने वषयक अ भलेख उपलब्ध नही पाया गया अर्थात कार्यालय द्वारा समायोजन/वापसी हेतु कोई प्रयास नही कया गया है। कार्यालय के उक्त बैंक खाता में ब्याज की धनरा श भारत सरकार को वापस न करने एवं योजनाओ पर व्यय नही कए जाने के कारण ₹ 80,524/- की धनरा श ब्याज के रूप में बैंक खाता में शेष पड़ी हुई है, साथ ही धनरा श के सम्पूर्ण व्यय होने के बावजूद ₹ 81,113/- (ब्याज सहित) की धनरा श बचत के रूप में पड़ी हुई थी। अर्जित ब्याज की धनरा श का ववरण निम्नवत पाया गयाः-

क्र सं0	दिनांक	ब्याज की धनरा श
1.	25/06/16	3786
2.	25/09/16	10560
3.	25/12/16	54648
4.	25/03/17	5969
5.	25/08/17	802
6.	25/09/17	748
	योग	**₹ 76,513/-**

उक्त से यह स्पष्ट है क वभाग दवारा खोले गए बैंक खाता में ब्याज क धनरा श वर्षवार बढ़ रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया है "इस सम्बन्ध में निर्माण एजेंसी को सूचनाए प्रस्तुत करने के लए कहा गया है तथा अर्जित ब्याज क धनरा श वा पस करने हेतु इकाई क टिप्पणी थी क भ वष्य हेतु अनुपालन कया जाएगा।"

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्यों क रूसा के दिशानिर्देशों के अनुसार महा वद्यालय क जिम्मेदारी थी क वह शर्तो के अनुसार निर्माण एजेंसी से मा सक अर्जित ब्याज का ववरण सुनिश्चित कराकर वभाग को आव धक प्रे षत करे जो लेखापरीक्षा में नही पाया गया है।

अतः वभागीय उदा सनता के कारण अर्जित ब्याज क धनरा श ₹ 76,513/- का समायोजन/ वापस नही कए जाने का प्रकराण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **03** :- शासकीय दिशानिर्देशों के वपरीत अर्जित ब्याज **₹ 26.29** लाख का अनावश्यक अवरोधन का प्रकरण।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक-126/(1)XXVII(6)-T.C.A. 934-2014 दिनांक 21/04/17 (वत्त अनुभाग-6) के अनुसार-"प्रशासनिक वभागो द्वारा परियोजनायों हेतु धनरा श बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित कया जाता है और उक्त ब्याज की धनरा श को राजकोष में जमा न करते हुये प्रयोग में लया जा रहा है। यह एक घोर अनिय मतता है तथा उक्त शासनादेश के अनुसार इस प्रकार जितने भी बैंक खाते हैं, उन खातों में अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुये तत्काल उक्त धनरा श राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराई जाय।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय, नागनाथ पोखरी, (चमोली) राज्य योजना हेतु निर्माणाधीन एकेड मक भवन, प्रशासनिक भवन एवं मल्टिपरपज हाल के अ भलेखो क जांच के उपरान्त पाया गया क शासनादेश संख्या 1706(1)XXIV(7)2/2009, दिनांक 07/10/2010 द्वारा धनरा श 462.92 लाख क वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी। भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक वभाग द्वारा सम्पूर्ण धनरा श 462.92 लाख, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को कार्य हेतु अवमुक्त क गयी थी। निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल के साथ अगस्त 2014 में समझौता ज्ञापन कया गया था। शासकीय दिशानिर्देशों (पत्र सं0 लेखा/2192-93/2014-15, दिनांक 01/10/14 के तहत MOU में निर्धारित शर्तो के अनुसार निर्माण एजेंसी अपने पास उपलब्ध नि धयो तथा प्रतिमाह अर्जित ब्याज का ववरण उपलब्ध कराएगी तथा उसके पास नि ध क उपलब्धता के आधार पर कम से कम आगामी चार माह के लए अपे क्षत मा सक नि ध क मांग भी प्रस्तुत करेगी। उक्त परियोजना संबं धत इलाहाबाद बैंक खाता सं0 50299235020 क जांच में पाया गया क एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य में वलम्ब होने के कारण वगत कई वर्षो में ब्याज क धनरा श वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। एजेंसी को ₹ 26.29 लाख क धनरा श अर्जित ब्याज के रूप में बैंक खातो में पड़ी थी। बैंक खातो में ब्याज की धनरा श राज्य सरकार को वापस न करने एवं योजनाओ पर व्यय नही कए जाने के कारण ₹ 26.29 लाख की धनरा श ब्याज के रूप में निर्माण एजेंसी को प्राप्त हुई थी, जिसे निर्माण एजेंसी द्वारा राज्य सरकार को वा पस नही की जा रही थी।

अ भलेखो क जांच के उपरांत पाया गया क प्रारम्भ से लेखा परीक्षा ति थ तक निर्माण एजेंसी द्वारा न तो उक्त अर्जित ब्याज क सूचना समय समय पर महा वद्यालय को प्रे षत क जा रही थी और न ही महा वद्यालय द्वारा सूचनाँए सुनिश्चित करने वषयक कोई अ भलेख संबं धत साक्ष्य स्वरूप लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पाया गया। निर्माण एजेंसी को अब तक कुल ₹ 26.29 लाख क धनरा श ब्याज के रूप में अर्जित हुई है जिसका ववरण महा वद्यालय

को प्रेषित नही किया गया और न ही उक्त अर्जित धनराशि का उपयोग परियोजना व्यय को कम करने हेतु किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यो एवं आकडों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया है "निर्माण एजेंसी से विवरण प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा तथा अर्जित ब्याज की धनराशि वापिस करने हेतु कोई कार्यवाही कार्यालय द्वारा नही की गयी है अतः भविष्य हेतु इसका ध्यान रखा जाएगा।"

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि शासकीय दिशानिर्देशों के विपरीत धनराशि का अनावश्यक रूप से बैंक में पार्किंग (Parking of funds) की गयी थी, यदि समय समय पर शासकीय धन की वापसी की सूचना प्रेषित की जाती तो सम्बन्धित धन का प्रयोग अन्य शासकीय कार्यों पर किया जा सकता था।

अतः शासकीय दिशानिर्देशों के विपरीत अर्जित ब्याज ₹ 26.29 लाख का अनावश्यक अवरोधन का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **04** :- छात्र नि ध खातो मे अर्जित ब्याज क धनरा श **₹** 2,46,584/-लाख का अ क्रयाशील पड़े रहना।

छात्रनि धयों के रख रखाव एवं उपयोग के संबंध मे उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार " यदि कन्ही कारणो से कसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध स मति के अनुमोदनोपरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है" तथा छात्र कल्याण नि ध नियमावली 2003 मे यह स्पष्ट उल्लेख है क The collection from students in the Nidhi and interest earned thereon shall be utilized to provide assistance under rule-6 *(objective of nidhi- provide financial assistance to student)* and also to meet establishment and other expenses necessary for administration of Nidhi."

कार्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय, नागनाथ, पोखरी की लेखा परीक्षा अव ध 04/2012 से 9/2017 तक के छात्रनि धयों संबन्धित अ भलेखो की जांच की गयी, जांच के उपरान्त पाया गया क उक्त अव ध के दौरान वद्यालय द्वारा व भन्न प्रकार की छात्रनि धयों का संचालन कया गया तथा सभी छात्रनि धयों हेतु पृथक रूप से बैंक खाते खोले गए है। वद्यालय द्वारा सभी प्रकार क छात्रनि धयों हेतु कुल 25 बैंक खाते खोले गए है, संबन्धित खातो क जांच के उपरान्त पाया गया वद्यालय द्वारा संचा लत बैंक खातो मे साल दर साल ब्याज क धनरा श अर्जित हो रही है । आगे पाया गया क लेखापरीक्षा अव ध मे वद्यालय को कुल रु 24,46,584/- की धनरा श ब्याज के रूप मे अर्जित हुई है जिसे कार्यालय द्वारा छात्र कल्याणकारी कार्यों मे व्यय नहीं कया गया है और न ही उक्त धनरा श को शासन को सम र्पत कए जाने हेतु कोई प्रयास कया गया है अतः उक्त धनरा श कार्यालय द्वारा संचा लत कुल 25 बैंक खातों में अ क्रयाशील अवस्था मे पड़ी हुई है साथ ही कार्यालय द्वारा पृथक- पृथक खातो के संचालन कए जाने के कारण उन खातो पर संचालन शुल्क (जैसे sms charges, चेक बुक शुल्क आदि) का अतिरिक्त व्यय होने के कारण छात्र नि धयों की बचत की धनरा श भी कम हो रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है की अर्जित ब्याज की रा श छात्रों को लौटाए जाने का कोई प्रावधान नही है भ वष्य में अर्जित ब्याज का उपयोग कस तरह करना है संब धत जानकारी शासकीय स्तर से प्राप्त कर प्रे षत की जाएगी, तथा इस संदर्भ में दिशानिर्देश प्राप्त कर अवगत कराया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्यो क छात्र नि धयों की धनरा श (ब्याज सहित) का उपयोग छात्र कल्याणकारी कार्यो हेतु कया जाना अनिवार्य था जिसे वभागीय उदा सनता के कारण न केवल छात्र नि धयो का उपयोग छात्रों के कल्याणकारी कार्यो हेतु नहीं कया जा सका बल्कि रु 2,46,584/- की अर्जित ब्याज की धनरा श वगत कई वर्षो से अ क्रयाशील अवस्था मे पड़ी हुई है।

अतः छात्र नि ध खातों में अर्जित ब्याज की धनरा श रु 2,46,584/- का अ क्रयाशील होने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **01** :- कॉशन मनी से **₹ 96999.00** का अनियमित आहरण।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पोखरी की लेखापरीक्षा में कॉशन मनी पंजिका तथा बैंक खाते में रखरखाव किये गये धनराशि की जांच की गयी। जांच में पाया गया कि चमोली जिला सहकारी बैंक खाता सं0- 001034029000711 में 10/2017 तक ₹ 121958.00 अवशेष राशि पड़ी हुई पायी गयी। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि छात्रों द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि उनके शिक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वापस करने का प्रावधान है। पंजिका में निर्धारित अवधि के बाद न लौटाये जाने वाली अर्थात् बचत विवरण पंजिका में कही भी दर्ज नहीं था। धनराशियां अन्य प्रयोजन के लिये समय-समय पर आहरित की जा रही थी। वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक के मध्य छात्रों को लौटाये जाने वाली राशि शून्य थी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में आहरण करने के पूर्व निदेशक (उच्च शिक्षा) से अनुमति ली जायेगी। छात्रों द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते है, जिस कारण धनराशि पड़ी हुई है। भविष्य में छात्रों की जानकारी में लाने के लिए महाविद्यालय द्वारा समय-समय से पृथक से सूचना निर्गत की जायेगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं था चूंकि कॉशन मनी का रखरखाव पारदर्शी होना चाहिए, जिसे निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों को शुल्क वापस करने के प्रावधान है, जिसमें से आहरण करने के पूर्व उच्चाधिकारी से नियमतः अनुमति प्राप्त करना चाहिए था, जो लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
प्रथम लेखा परीक्षा				

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखा परीक्षा				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्राचार्य , राजकीय स्नातकोत्तर महा वध्यालय गोपेश्वर , चमोली तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-
अप्रस्तुत अ भलेखः शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अव ध
डॉ0 ल लत प्रभा शर्मा	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वध्यालय नागनाथ, पोखरी	23.11.11 से 13.10.12
डॉ0 जे0के0 गौतम	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वध्यालय नागनाथ, पोखरी	14.10.12 से 31.09.13
डॉ0 ऐ0के0 श्रीवास्तव	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वध्यालय नागनाथ, पोखरी	01.10.13 से 05.06.14
डॉ0 जे0के0 गौतम	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वध्यालय नागनाथ, पोखरी	06.06.14 से 20.06.17
डॉ0 एच एल अरोड़ा	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वध्यालय नागनाथ, पोखरी	21.06.17 से 29.07.17
डॉ0 जे0के0 गौतम	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वध्यालय नागनाथ, पोखरी	30.07.17 से 08.09.17
डॉ0 जी एस रावत	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वध्यालय नागनाथ, पोखरी	09.09.17 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय, नागनाथ, पोखरी, (चमोली) को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.